MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA UNIT)

ORDER

New Delhi, the 25th July, 2014

S.O. 1916(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/01/2014-Cus.VIII, dated 27.05.2014 under the said sub-section directing that Shri Mohamed Zuhar Shike Sulaiman, S/o Shri Shaike Sulaiman, 122, Koloawnoa Road, Wellapitia, Sri Lanka, be detained and kept in custody in the Sub-Jail-cum-Judicial Lock-up, Sada, Vasco-Goa with a view to preventing him from indulging in smuggling activities particularly smuggling of gold into India in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Goa, Panaji, Goa within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/01/2014-Cus.VIII]

HARMEET S. SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

आदेश

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2014

का.आ. 1917(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 27.05.2014 को फाइल संख्या-673/02/2014- कस्टम VIII के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री मोहम्मद रियाज मोहम्मद नियाज, पुत्र श्री शायके सुलेमान, 120/2ए, वानावाटा रोड, बुदगुमा, कोलम्बो, श्रीलंका को उप-जेल-सह-न्यायिक कारागार, साड़ा, वास्को-गोवा में रोका जाए तथा अभिरक्षा में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें भारत में माल की तस्करी करने विशेष रूप से सोने की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश तामील न किया जा सके।

3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, गोवा सरकार, पणजी, गोवा के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/02/2014- कस्टम VIII]

हरमीत एस. सिंह, संयुक्त सचिव